# Public Notice

M/s. Central Cement Industries, under Section 86(1)(e), of Electricity Act, 2003, has filed a Petition before the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for the rationalization of transmission charges applicable for Solar power plants are being commissioned after 27.12.2023. This petition is registered as Petition No. 87 of 2024. Reliefs sought by the petitioner are given below:

1. Admit and allow the present Petition and decide the issue raised by the Petitioner regarding levy of transmission charges on long-term open access in case of solar power generators;
2. Rationalize the transmission charges applicable for Solar power plants commissioned after 27.12.2023 in the tariff order FY 2024-25;
3. Pass any other, as the Commission may deem fit in the interest of justice.

Persons intending to file Objections / suggestions, on the above petition, may submit the same to Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur – 492001 (CG), E-mail: cserc.sec.cg@nic.in.

Copy of this notice and the petition are available on the Commission's website www.cserc.gov.in. Hardcopy of the aforesaid petition is also available in office of the Commission and same can be purchased by paying an amount of Rs. 200/- from 11 AM to 4 PM on any working day. The copy of the petition may also be obtained by post by paying an additional amount of Rs. 50/- as postal expenses. The Commission shall also conduct public hearing on the above petition for which place, date and time shall be published separately through newspapers.

**Mr. Rishi Agrawal,**
**For M/s. Central Cement Industries**

# आमसूचना

मेसर्स सेन्ट्रल सीमेन्ट इण्डस्ट्रीज़ द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ई) के अन्तर्गत दिनांक 27.12.2023 के बाद चालू होने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए लागू ट्रांसमिशन शुल्क के युक्तिकरण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष एक याचिका दायर किया गया है। इस याचिका को याचिका क्रमांक 87/2024 के रूप में पंजीकृत किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में चाही गई राहतें नीचे दी गई हैं :–

1. वर्तमान याचिका को स्वीकार कर, याचिका में उठाए गए मुद्दों पर निर्णय लेने हेतु,
2. दिनांक 27.12.2023 के बाद आने वाले सोलर पॉवर प्लान्ट्स पर वर्ष 2024–25 में लागू होने वाले ट्रान्समिशन प्रभार के युक्तिकरण हेतु,
3. अथवा आयोग ऐसा कोई आदेश पारित करे जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनुसार उचित हो।

उपरोक्त याचिका पर सुझाव/आपत्ति, इस सूचना के प्रकाशन के 21 दिवस के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर–492001, ईमेलः cserc.sec.cg@nic.in पर भेजी जा सकती है।

उपरोक्त याचिका की प्रति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कालोनी, शांति नगर रायपुर 492001 के कार्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवसों में रूपये 200/– का भुगतान कर पूर्वान्ह 11:00 से सांयः 4:00 के बीच प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रूपये 50/– (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त याचिका पर निर्धारित की गई तिथि, समय एवं स्थान पर जन–सुनवाई भी की जावेगी, जिसकी सूचना आयोग द्वारा समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

**ऋषि अग्रवाल**
**कृते मेसर्स सेन्ट्रल सीमेन्ट**
**इण्डस्ट्रीज़**